

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं०सं०-९/आ०-०९-०२/२०२२(स्वा०)...../ पटना, दिनांक:-.....

डॉ० विजय कुमार, तत्कालीन अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पूर्णियाँ सम्प्रति सेवानिवृत्त को अधीनस्थ महिला चिकित्सा पदाधिकारी से अमर्यादित व्यवहार करने एवं आउटसोर्सिंग एजेंसी के चयन में अनियमितता बरतने के आरोप में विभागीय अधिसूचना सं०-१३०(१७) दिनांक-२४.०३.२०२२ द्वारा निलंबित किया गया।

२. विभागीय अधिसूचना सं०-७८८(९) दिनांक-१९.०९.२०२२ द्वारा डॉ० कुमार को निलंबन मुक्त करते हुए पदस्थापन की प्रतीक्षा में योगदान करने का निदेश दिया गया।

३. डा० कुमार के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-७८५(९) दिनांक-१६.०९.२०२२ द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। उन्हें विभागीय अधिसूचना सं०-११२२(९) दिनांक-१८.११.२०२४ द्वारा आरोप मुक्त किया गया है।

४. डा० कुमार द्वारा अभ्यावेदन समर्पित कर निलंबन अवधि पर निर्णय संसूचन करने का अनुरोध किया गया।

५. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक समीक्षोपरांत पाया गया कि डा० कुमार द्वारा निलंबन अवधि में नियमित रूप से निर्धारित मुख्यालय में उपस्थिति दर्ज किया गया है। डा० कुमार को निलंबन अवधि हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, २००५ के नियम-११(३) के अधीन जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अवशेष राशि भुगतान करने का विनिश्चय किया गया।

६. डा० विजय कुमार, तत्कालीन अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पूर्णियाँ सम्प्रति सेवानिवृत्त को निलंबन अवधि दिनांक-२४.०३.२०२२ से १९.०९.२०२२ की अवधि के लिए जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अवशेष राशि भुगतान करने का निर्णय संसूचित किया जाता है।

७. उपर्युक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

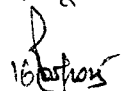
ह०/-

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक: ९/आ०-०९-०२/२०२२(स्वा०)...../ पटना, दिनांक:-१६.०५.२०२५

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार पटना/प्रभारी वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ/कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।



(15)

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, पूर्णियाँ प्रमंडल पूर्णियाँ/अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पूर्णिया/सिविल सर्जन, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:—डॉ० विजय कुमार, तत्कालीन अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पूर्णियाँ सम्प्रति सेवानिवृत्त पत्राचार का पता—IMA हॉल, एस०पी०कोठी, पोस्ट ऑफिस मेन पूर्णियाँ, पिनकोड—854301 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 8, 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—आई०टी० मैनेजर, स्वा० विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ओ०
16/05/2015
सरकार के अवर सचिव।